तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11-03-26	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारन अधिवक्ता उपस्थित । प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी. पर बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस है कि अज अदालत में विचाराधीन मूल वाद संख्या 146/2024 दिनांक 08.08.2025 को अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया है जो प्रथम दृष्टया सशक्त प्रकरण है वादी अधिवक्ता अस्वस्थ होने के कारण अदालत हाजा में उपस्थित नहीं होने से अदालत हाजा द्वारा अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया, उपरोक्त परिस्थितियों के मध्यनजर मूल वाद पत्र को स्टोर करने का आदेश फरमाया जावे। विप्रार्थी (प्रतिवादी) अधिवक्ता दौराने बहस मूल वाद को पुनः रिस्टोर किये जाने बाबत सहमति जाहिर की गई। हमने दोनो अधिवक्ताओं की बहस सुनी व पत्रावली का अवलोकन मनन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य का विवेचना किया गया । मूल वाद पेशी तारीख 08.08.2025 को वादी व वादी अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया है। विधि की मंशा है कि वाद पत्र का निस्तारण जवाब,तनकी व साक्ष्य के पश्चात गुणागुणो के आधार पर किया जाना चाहिए, मूल वाद को रिस्टोर किया जाने से पक्षकारन के हितो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा। लिहाजा प्रार्थी (वादी) का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद पुनः उसी स्टेज पर रिस्टोर किया जाता है। फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 18:43:09 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर
S.D.O. सिवाना